

भाग-2

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन

विभाग में लोक सूचना अधिकारियों का विवरण:-

- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ ।

शासन स्तर पर जन सूचना अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है:-

नाम	पदनाम	दूरभाष/फैक्स संख्या	भवन/कक्ष संख्या
श्री शिशिर कुमार यादव	उप सचिव/जन सूचना अधिकारी	0522-2221426	707, बापू भवन, सप्तम तल 30प्र0 सचिवालय,
श्री शिव श्याम मिश्र	विशेष सचिव/अपीलीय अधिकारी।	0522-2237415	41-42, अधिकारी भवन, 30प्र0 सचिवालय,

मुख्यालय स्तर पर जन सूचना अधिकारियों का विवरण:-

औषधि प्रभाग:-

नाम	पदनाम	दूरभाष/फैक्स संख्या	भवन/कक्ष संख्या
श्री ए0एल0 आर्या	सहायक औषधि नियंत्रक (मु0)/जन सूचना अधिकारी	0522-2258101 मो0 9415781918	कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, 9 जगत नारायण रोड, लखनऊ।
श्री शिव श्याम मिश्र	अपर आयुक्त(प्रशासन)/अपीलीय अधिकारी।	0522-2258102	कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, 9 जगत नारायण रोड, लखनऊ।

खाद्य प्रभाग:-

नाम	पदनाम	दूरभाष/फैक्स संख्या	भवन/कक्ष संख्या
श्री राजा राम वर्मा	मुख्य खाद्य निरीक्षक (मु0)/जन सूचना अधिकारी	0522-2258101 मो0 9451504216	कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, 9 जगत नारायण रोड, लखनऊ।
श्री शिव श्याम मिश्र	अपर आयुक्त(प्रशासन)/अपीलीय अधिकारी।	0522-2258102	कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, 9 जगत नारायण रोड, लखनऊ।

राजकीय जन विक्षेपक प्रयोगशाला:-

नाम	पदनाम	दूरभाष/फैक्स संख्या	भवन/कक्ष संख्या
डा0 गिरधर दास	संयुक्त आयुक्त (प्रयोगशाला)/जन सूचना अधिकारी	0522-2321552 मो0 9450113290	कार्यालय राजकीय जन विक्षेपक प्रयोगशाला, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ।
श्री शिव श्याम मिश्र	अपर आयुक्त(प्रशासन)/अपीलीय अधिकारी।	0522-2258102	कार्यालय राजकीय जन विक्षेपक प्रयोगशाला, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ।

जनपद स्तर:-

- (1) सम्बन्धित जनपदों के औषधि निरीक्षक, जन सूचना अधिकारी।
- (2) सम्बन्धित जनपदों के मुख्य खाद्य निरीक्षक, जन सूचना अधिकारी।
- (3) सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, अपीलीय अधिकारी, राज्य सूचना निदर्शनी में दूरभाष संख्या एवं मोबाइल नं0 अंकित है।

- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ऐसी अन्य सूचना, जो विहित (prescribed) की जाए।

- (1) प्रदेश में जन सामान्य को खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण से सम्बन्धित जागरूकता प्रदान करने के लिए प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अपमिश्रण सम्बन्धी तथ्यों से जन सामान्य को अवगत कराते हुए उनकी सहभागिता प्राप्त कर प्रदेश से अपमिश्रण को समाप्त कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है। विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विभागीय कार्यों की सूचनाओं को जन सामान्य को उपलब्ध कराया जा रहा है। अपमिश्रण विषयक जानकारी प्रदान करने हेतु जन सामान्य को प्रोत्साहित किया जाता है तथा प्राप्त सूचना के स्रोत को गुप्त रखने के साथ-साथ सही सूचना प्रदान करने वालों को पुरस्कृत किये जाने का भी प्राविधान किया गया है।
- (2) अपमिश्रण पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विभागीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स का गठन अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन) के नियंत्रणाधीन है। टास्क फोर्स में औषधि निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षकों को तात्कालिक सूचना पर प्रवर्तन की कार्यवाहियों को करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
- (3) विभागीय प्रवर्तन की कार्यवाहियों को समयान्तर्गत सुनिश्चित कराये जाने हेतु मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिलाधिकारियों को औषधि निरीक्षकों/खाद्य निरीक्षकों को प्रवर्तन कार्यों को सफल बनाये जाने हेतु तात्कालिक सहायता एवं सुविधायें यथा वाहन आदि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
- (4) विभाग द्वारा अपमिश्रण को रोकने हेतु निर्धारित अवधि के अभियान चलाये जाते हैं। त्यौहारों के समय विशेष छापामार अभियान की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है।